रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 1974/वैशाख 7, 1896

No. 99] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 1974/VAISAKHA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

COMPLETED.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th April, 1974

G.S.R. 189(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 1974, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. M.11018/4/73-UDII]

निर्माण और आवास मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1974

सा० का० नि० 189(अ).—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पहली मई 1974 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिस को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं० एम०-11018/4/73-यू० डी० II]

Attested

23-7-15

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

G.S.R. 193(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974) read with clause (d) of sub-section (2) of that section the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Urban Art Commission (Budget and Finance) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1st day of May, 1974.

2. **Definitions.**—In these Rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974);
(b) "Commission" means the Delhi Urban Art Commission established under section 3 of the Act;
(c) "Government" means the Central Government;
(d) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
(e) "Secretary" means Secretary to the Commission;
(f) "Year" means the Financial year beginning on the 1st day of April and ending on the 31st day of March following.

3. **Form of Budget Estimates.**—(1) The budget in respect of the year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure of the Commission shall be prepared in Schedules I, II, III and IV and submitted to the Government.

(2) The estimated receipts and expenditure shall be accompanied by the revised budget estimates for the current year.

(3) The budget shall be based on the account heads given in the Appendix to these rules.

4. **Submission of budget estimates to the Commission:**—(1) The budget estimates as compiled in accordance with rule 3 shall be placed by the Secretary before the Commission by the 5th of October each year for approval.

(2) After approval of the budget estimates by the Commission, four copies of the final copy of the budget incorporating therein such modifications as have been decided upon by the Commission, with copies of the Schedules shall be submitted to the Government by the 15th of October.

5. **Estimates of establishment expenditure and fixed recurring charges.**—(1) The estimates of expenditure on fixed establishment as well as fixed monthly recurring charges on account of rent, allowances etc. shall provide for the gross sanctioned pay without deductions of any kind.

(2) To the estimates referred to in sub-rule (1) shall be added a suitable provision for leave salary based on past experience with due regard to the intention of the members of the staff in regard to leave as far as the same can be ascertained.

(3) If experience indicates that the total provision for fixed charges referred to in sub-rules (1) and (2) is likely to exceed, a suitable lump deduction shall be made from the total amount available.

6. **Reappropriations and emergent expenditure.**—No expenditure which is not covered by a provision in the sanctioned budget estimates, or which is likely to cause excess over the amount provided under any head, shall be incurred by the Commission without provision being made by reappropriation from some other head under which savings are firmly established and available.

7. **Power to incur expenditure.**—The Commission shall incur expenditure out of the funds received by it in accordance with the instructions laid down under the General Financial Rules of the Government and other instructions issued by the Government from time to time.

8. **Operation of fund of the Commission.**—The fund of the Commission shall be operated by the Secretary of the Commission or in his absence by any other officer of the Commission who may, subject to the approval of the Government, be so empowered by the Commission.

9. **Special provision relating to the budget for 1974-75.**—The budget for the year 1974-75 shall be prepared and sent to the Government within one month of thd setting up of the Commission and these rules shall apply *mutatis mutandis*, so far as may be applicable.

Attested
23-7-75
Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

APPENDIX

BUDGET AND ACCOUNT HEADS (RULE 3)

ADMINISTRATION

Heads of Account (Expenditure)

1. Salaries.
2. Wages.
3. Travel Expenses.
4. Office Expenses.
   (a) Furniture.
   (b) Postage.
   (c) Office Machines/Equipment.
   (d) Liveries.
   (e) Hot and Cold Weather Charges.
   (f) Telephones.
   (g) Electricity and Water Charges.
   (h) Stationery.
   (i) Printing.
   (j) Staff Cars and other vehicles.
   (k) Other items.
5. Fee and Honoraria.
6. Payments for professional and special services.
7. Rents, Rates and Taxes/Royalty.
8. Publications.
9. Advertising, Sales and Publicity Expenses.
10. Grants-in-Aid/Contributions/Subsidies.
11. Hospitality Expenses/Sumptuary Allowances etc.
12. Pensions/Gratuities.
13. Writes-off/Losses.
14. Suspense.
15. Other Charges (A residuary head, this will also include rewards and prizes).

Heads of Account (Receipts).

1. Payments by Central Government.
2. Fees.
3. Fines and other receipts.

Attested
23-7-15
Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

Schedule I

DELHI URBAN ART COMMISSION

Detailed Budget Estimates for the year 19 —19

ADMINISTRATION

(Expenditure)

Heads of Account	Actuals for the past three years			Sanctioned estimate for the current year 19	Actuals of last six months of the year 19-19	Actuals of six months of the current year 19	Revised estimate for the current year 19	Budget estimate for the next year 19	Variations between columns 5 and 8	Variations between columns 8 & 9.	Explanation for columns 10 and 11
	19 .	19	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
As in appendix											

Attested

23-7-75

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

Schedule II

DELHI URBAN ART COMMISSION

Schedule of Establishment

Statement of details of provision proposed for pay of Officers/Establishment for the year 19 -19

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)			(6)	(7)
Name and designation	Reference to page of estimate form	Sanctioned pay of the post			Amount of provision for the year at the rate in column 3 (c)	Increment falling due within the year			Total provision for the year i.e. total of columns 4 & 5 (c)	Remarks.
		Minimum	Maximum	Actual pay of the person concerned due on 1st April next year		Date of increment	Rate of increment	Amount of increment for the year		
		(a)	(b)	(c)		(a)	(b)	(c)		

Attested

23.7.15

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

Schedule III

DELHI URBAN ART COMMISSION

NOMINAL ROLLS

R. E. 19 —19/B. E. 19 —19

Name and designation	Pay	Dearness Allowance	City Compensa-tory Allowance	House Rent Allowance	Over-time Allowance	Children Education Allowance	Leave travel concession	Other Allowances	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL									

Attested

23-7-15

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

Schedule IV

DELHI URBAN ART COMMISSION

ABSTRACT OF NOMINAL ROLLS

Actual sanctioned strength as on 1st March, 19	Particulars of posts.	Sanctioned Budget Grant 19 —19		Revised Estimates 19 —19		Budget Estimates 19 —19		Explanation for the difference between sanctioned Budget Grant, Revised Estimates and Budget Estimates.
		No. of posts included	Pay and allowances	No. of posts included	Pay and allowances	No. of posts included	Pay and allowances	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I—*OFFICERS*							
	(a) Posts filled							
	(b) Posts vacant							
	Total I Officers . .							
	II—*ESTABLISHMENT*							
	(a) Posts filled							
	(b) Posts vacant							
	Total II Establishment . .							
	III—Class IV							
	(a) Posts filled							
	(b) Posts vacant							
	Total III Class IV. . .							
	Grand Total I, II and III . .							

[No. M. 11018/4/73-UD II]
R. GOPALASWAMY, Jt. Secy.

Attested
23.7.15

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

सा० का० नि० संख्या 193(अ).--दिल्ली नगर निगम कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित, उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .----(1) इन नियमों का नाम दिल्ली नगर कला आयोग (बजट और वित्त) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम 1 मई, 1974 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायें** :- इन नियमों, में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) 'अधिनियम' से दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित दिल्ली नगर कला आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) 'सरकार' से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(घ) 'अनुसूची' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ङ) 'सचिव' से आयोग का सचिव अभिप्रेत है ;

(च) 'वर्ष' से 1 अप्रैल, को प्रारम्भ होने वाला और अगले 31 मार्च, को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. **बजट प्राक्कलनों का प्ररूप**.--(1) आगामी वित्तीय वर्ष का बजट, जिसमें आयोग की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दिखाये गये हों, अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में तैयार किया जाएगा और सरकार को भेजा जाएगा।

(2) प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय के साथ चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन होंगे।

(3) बजट इन नियमों के परिशिष्ट में दिए गए लेखा शीर्षों पर आधारित होगा।

Attested

23-7-15

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

4. **आयोग को बजट प्राक्कलनों का भेजा जाना**.—(1) नियम 3 के अनुसार यथा संकलित बजट प्राक्कलन अनुमोदन के लिये प्रत्येक वर्ष 5 अक्तूबर तक आयोग के समय सचिव द्वारा रखे जायेंगे ।

(2) आयोग द्वारा बजट प्राक्कलनों का अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् बजट की अन्तिम प्रति की चार प्रतियां जिन में ऐसे उपान्तरण कर दिये गये हों जो आयोग द्वारा विनिश्चत किए जायें, और अनुसूचियों की प्रतियां 15 अक्तूबर तक सरकार को भेजी जायेंगी ।

5. **स्थापन व्यय और नियत आवर्ती प्रभारों के प्राक्कलन**.—(1) नियत स्थापन पर व्यय और साथ ही भाठक, भत्ते आदि के मद्दे नियत मासिक आवर्ती प्रभारों के प्राक्कलनों में, किसी प्रकार की कटौतियां किए बिना सकल मंजुर वेतन के लिये उपबन्ध किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राक्कलन में छुट्टी के सम्बन्ध में छुट्टी सम्पलम, के लिये उपयुक्त उपबन्ध किया जाएगा जो कर्मचारिवृन्द के सदस्यों के आशय का सम्यक, ध्यान रखते हुए पिछले अनुभव पर वहां तक आधारित होगा जहां तक कि वह अभिनिश्चित किया जा सके ।

(3) यदि अनुभव से यह प्रतीत हो कि उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट नियत प्रभारों के लिए कुल उपबन्ध के अधिक होने की सम्भावना है तो कुल उपलब्ध रकम में से उपयुक्त एकमुश्त कटौती की जाएगी ।

6. **पुनर्विनियोग और अपरिहार्य व्यय**.—कोई ऐसा व्यय, जो मंजूर बजट प्राक्कलनों के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत नहीं आता हो, या जिसकी वजह से किसी शीर्ष के अधीन उपबन्धित रकम से आधिक्य होना सम्भाव्य हो, किसी ऐसे अन्य शीर्ष में से जिसके अन्तर्गत बजट बचत निश्चित रूप से प्रतिपादित की गई हों और उपलब्ध हों, पुनर्विनियोग द्वारा उपबन्ध किए बिना आयोग द्वारा उपगत नहीं किया जाएगा ।

7. **व्यय उपगत करने की शक्ति**.—आयोग अपने द्वारा प्राप्त निधियों में से व्यय, सरकार के साधारण वित्तीय नियम के अधीन अधिकथित अनुदेशों और सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेशों के अनुसार उपगत करेगा ।

8. **आयोग की निधि की संक्रिया**.—आयोग की निधि की संक्रिया आयोग के सचिव द्वारा या उसकी अनुपथिति में आयोग के किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो, सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए आयोग द्वारा इस प्रकार सशक्त किया जाए ।

9. **1974-75 के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध**.—1974-75 के लिये बजट आयोग के स्थापित किए जाने से एक मास के अन्दर तैयार किया जाएगा और सरकार को भेजा जाएगा और ये नियम, यावत्साध्य, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

Attested

23·7-15

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

परिशिष्ट

बजट और लेखा शीर्ष (नियम 3)

प्रशासन

लेखा शीर्ष (व्यय)

1. सम्बलम्;
2. मजदूरी
3. यात्रा व्यय
4. कार्यालय व्यय :
   (क) फर्नीचर
   (ख) डाक महसूल
   (ग) कार्यालय मशीन/उपकर
   (घ) वर्दियां
   (ङ) ग्रीष्म और सर्दी ऋतु प्रभार
   (च) टेलीफोन
   (छ) विद्युत और जल प्रभार
   (ज) लेखन सामग्री
   (झ) मुद्रण
   (ज) स्टाफ कार और अन्य यान
   (ट) अन्य मदें
5. फीस और मानदेय
6. वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिये संदाय
7. भाटक, रेट और कर/स्वामित्व
8. प्रकाशन
9. विज्ञापन, विक्रय और प्रचार व्यय
10. सहायता अनुदान/अभिदाय/सहायकी
11. आतिथ्य व्यय/समचुअरी भत्ते आदि
12. पेंशन/उपदान
13. अपलेखन/हानियां
14. उचंत
15. अन्य प्रभार (कोई अवशिष्ट शीर्ष, इसके अन्तर्गत इनाम और पुरस्कार भी होंगे)

लेखा शीर्ष (प्राप्तियां)

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संदाय की रकम।
2. फीस।
3. जुर्माने और अन्य प्राप्तियां।

Attested

23-7-15

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

अनुसूची– 1

दिल्ली नगर कला आयोग

वर्ष 197......19... के लिये ब्यौरेवार बजट प्राक्कलन

प्रशासन

(व्यय)

लेखा शीर्ष	पिछले तीन वर्षों के लिये वास्तविक आंकड़े 19	19	19	चालू वर्ष 19.. के लिये मंजूर प्राक्कलन	वर्ष 19..19.. के अन्तिम छः मास के वास्तविक आंकड़े	चालू 19.. के लिये छः मास के वास्तविक आंकड़े	चालू 19.. के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन	अगले वर्ष 19.. के लिये बजट प्राक्कलन,	स्तम्भ 5 और 8 के बीच अंतर	स्तम्भ 8 और 9 के बीच अन्तर	स्तंभ 10 और 11 के लिये स्पष्टीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
परिशिष्ट के अनुसार											

Attested

23-7-15

Asstt. Controller (Business) Govt. of India Department of Publication Civil Lines, Delhi-54

अनुसूची 2

दिल्ली नगर कला आयोग

स्थापन की अनुसूची

वर्ष 19.... 19.... के लिये आफिसरों/स्थापन के वेतन के लिये प्रस्तावित उपबन्ध के ब्यौरों का विवरण

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)			(6)	(7)
नाम और पदाभिधान	प्राक्कलन प्ररूप के पृष्ठ का निर्देश	पद का मंजूर वेतन			स्तम्भ 3 (ग) में की दर पर इस वर्ष के लिये उपबन्ध की रकम	इस वर्ष के अन्दर देय होने वाली वेतन वृद्धि			इस वर्ष के लिये कुल उपबन्ध अर्थात् स्तम्भ 4 और 5 (ग) का योग	टिप्पणियां
		(क) न्यूनतम	(ख) अधिकतम	(ग) अगले वर्ष 1 अप्रैल को देय सम्पृक्त व्यक्ति का वास्तविक वेतन		(क) वेतन वृद्धि की तारीख	(ख) वेतन वृद्धि की दर	(ग) इस वर्ष के लिये वेतन वृद्धि की रकम		

Attested

23.7.15

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

अनुसूची 3

दिल्ली नगर कला आयोग

नामीय पूंजी

पुनरीक्षित प्राक्कलन 19.... 19.... /बजट प्राक्कलन 19.... 19....

नाम और पदाभिधान	वेतन	महगाई भत्ता	नगर भत्ता	मकान किराया भत्ता	अतिकालिक भत्ता	सन्तान शिक्षण भत्ता	छुट्टी यात्रा रियायत	अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

Attested

23-7-15

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

अनुसूची 4

दिल्ली नगर कला आयोग

नामीय सूची की संक्षिप्ति

मार्च, 19 .. वास्तविक संख्या	पदों की विशिष्टियां	मंजूर बजट अनुदान 19.. 19.. समाविष्ट पदों की संख्या	मंजूर बजट अनुदान 19.. 19.. वेतन और भत्ते	पुनरीक्षित प्राक्कलन 19.. 19.. समाविष्ट पदों की संख्या	पुनरीक्षित प्राक्कलन 19.. 19.. वेतन और भत्ते	बजट प्राक्कलन समाविष्ट पदों की संख्या	बजट प्राक्कलन वेतन और भत्ते	मंजूर बजट अनुदान, पुनरीक्षित प्राक्कलनों और बजट प्राक्कलनों के बीच अन्तर के लिये स्पष्टीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I.—अधिकारी (क) भरे हुये पद							
	(ख) रिक्त पद							
	योग I—अधिकारी							
	II—स्थापन (क) भरे हुये पद							
	(ख) रिक्त पद							
	योग II—स्थापन							
	III—वर्ग 4 (क) भरे हुये पद							
	(ख) रिक्त पद							
	योग III—वर्ग 4							
	कुल योग I, II और III							

[सं० एम० 11018/4/73-यू०डी० II]

आर० गोपालस्वामी, संयुक्त, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974

Attested

23.7.15

Asstt Controller, Business

Govt of India

Department of Publication

Civil Lines. Delhi-54